Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

आदराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी 28 पीबीएन तहसील सूरतगढ़ आदि

बनाम

राजूराम पुत्र हनुमान सिंह जाति जाट निवासी ढाणी राईकान हाल निवासी 28 पीबीएन तहसील सूरतगढ आदि

प्रकरण सं.–18/2022

किस्म मुकदमाः–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
28.11.2022	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फेरीकेन हाजिर। अधिवक्ता अपीलांट ने सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि चक 28 पीबीएन बी तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 38/348 किला न. 4 की 0.054 है0 नहरी, किला न. 5/0.023 है0 पश्चिमी पासा, किला न. 6 में 0.030 है0 पश्चिमी पास, किला न. 7 की 0.063 है0 पूर्वी पासा कुल 0.170 है0 अर्थात कुल 1700 वर्गमीटर में से खाला की भूमि तक रूपांतरण आदेश निरस्त करवाने बाबत हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। इस खाला के आगे के मुरब्बा न. में अपीलांट की भूमि है। इसी अपीलाधीन खाला की भूमि से ही प्रार्थी की भमि में सिंचाई सुविधा मिलती है। अतः खाला की भूमि रूपांतरण होने से अपीलांट के हितो पर सीधा प्रभाव पडा है तथा अपीलांट के हित प्रभावित हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर जारी किया है। अपीलांट प्रकरण में हितबद्व पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील अनुमति प्रदान करे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपीलांट की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रकरण मे जल संसाधन विभाग द्वारा ही अपील पेश की जानी चाहिए थी, ना कि अपीलांट द्वारा। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2006 (1) पेज 860 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि अपीलांट को यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अपीलांट जैर अपील आदेश से प्रभावित नहीं है। हस्तगत अपील संपरिर्वतन आदेश के विरूद्व पेश की गई है जो शुरू से ही शून्य है, क्योंकि संपरिवर्तन आदेश की कोई अपील नहीं होती। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील अपीलांट खारिज की जावे। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2019 (2) पेज न. 1228 की ओर ध्यान दिलाया। अधिवक्ता अपीलांट ने जवाब बहस में कथन किया कि भू–रूपांतरण नियम 2007 के नियम 4 (डी) के अनुसार गांव के तालाब, झील, नाला, नदी की भूमियों का रूपांतरण नही किया जा सकता चाहे वह गावं के राजस्व नक्शा या राजस्व रिकार्ड में अंकित ना हो तो भी उक्त भूमियों का रूपांतरण नहीं किया जा सकता। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2015 (2) पेज 1177 एवं आरआरटी 2014–15 पेज 528 अनुसार रूपांरण आदेश अपील योग्य है। अपीलांट की भूमि इस खाला के आगे के मुरब्बा न. में अपीलांट की भूमि है। इसी अपीलाधीन खाला की भूमि से ही प्रार्थी की भमि में सिंचाई सुविधा मिलती है। अतः खाला की भूमि रूपांतरण होने से अपीलांट के हितो पर सीधा प्रभाव पडा है तथा अपीलांट के हित प्रभावित हुए है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान करे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2015 (2) पेज 1177 एवं आरआरटी 2014–15 पेज 528 अनुसार रूपांरण आदेश अपील योग्य है। अपीलांट की भूमि इस खाला के आगे के मुरब्बा न. में अपीलांट की भूमि है। इसी अपीलाधीन खाला की भूमि से ही प्रार्थी की भमि में सिंचाई सुविधा मिलती है। अतः खाला की भूमि रूपांतरण होने से अपीलांट के हितो पर सीधा प्रभाव पडा है तथा अपीलांट के हित प्रभावित हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट सुना भी नहीं गया है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण में हितबद्व पक्षकार साबित होते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है। तत्पश्चात धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों [illegible] अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अधिशाषी [illegible] संसाधन खण्ड़ हनुमानगढ़ में विचाराधीन कार्यवाही के [illegible] अधिकारी सूरतगढ़ को दिनांक 27.9.2021 को निवे[illegible] के कारण अ[illegible] उपखण्ड़ अधिकारी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar

Date: 2023.02.06 17:19:46 IST

Reason: SelfAttested

तिरिक्त जिला कलक्टर

सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

के आदेश की प्रतिक्षा करते रहे। वहां से अपील का मौखिक निर्देश मिलने पर अपीलांट ने दिनांक 20.01.2022 को अपीलाधीन आदेश की प्रति के लिए निवेदन किया तथा दिनांक 01.02.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के अपील दायर कर दी। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपीलांट की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि हस्तगत अपील लगभग 6 वर्ष पश्चात पेश की गई है। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2016 (1) पेज न. 226 में पेश कर निवेदन है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह माना है कि इतने समय बाद विलम्ब उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए अन्यथा यह मियाद के कानून को निर्थक एवं फालतु बना देगा। विलम्ब माफ करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज करते हुए अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने जवाब बहस में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1989 पेज 45 की ओर ध्यान दिलाकर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पूर्णतः विधि विरूद्व है और ऐसे निर्णयों को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। भू–रूपांतरण नियम 2007 के नियम 4 (डी) के अनुसार गांव के तालाब, झील, नाला, नदी की भूमियों का रूपांतरण नही किया जा सकता चाहे वह गावं के राजस्व नक्शा या राजस्व रिकार्ड में अंकित ना हो तो भी उक्त भूमियों का रूपांतरण नहीं किया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाला की भूमि का रूपांतरण कर दिया जो विधि विरूद्व है। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1989 पेज 45 अनुसार विधि विरूद्व पारित निर्णय को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया है। जिसका रेस्पोडेंटगण द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब तथा कोई प्रति शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। अतः प्रकरण का निस्तारण हम गुणावगुण पर करना उचित समझते है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण मे गुणावगुण पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र बिना मौके देखे ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए खाला की भूमि का संपरिवर्तन आदेश पारित कर दिया, जो नियम विरूद्व है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश में रूपांतरित की गई भूमि में से किला न. 4 व 5 में खाला की भूमि तक का रूपांतरण निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस कथन किया कि भू प्रबंध विभाग द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नियम 26 के दौरान संवत 2035 ता 44 तक की तैयार की गई जमाबंदी में चक 28 पीबीएन 'बी'' के पत्थर न. 38/348 के किला न. 1 ता 5 में कोई रास्ता नहीं है तथा पत्थर न. 40/348 के किला न. 1 ता 5 में भी खाला नहीं है। जब राजस्व रिकार्ड में ही खाले का कोई अंकन नहीं है तो तहसीलदार, सूरतगढ़ का संपरिवर्तन आदेश नियमानुसार सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने जवाब बहस में कथन किया कि भू–रूपांतरण नियम 2007 के नियम 4 (डी) के अनुसार गांव के तालाब, झील, नाला, नदी की भूमियों का रूपांतरण नही किया जा सकता चाहे वह गावं के राजस्व नक्शा या राजस्व रिकार्ड में अंकित ना हो तो भी उक्त भूमियों का रूपांतरण नहीं किया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाला की भूमि का रूपांतरण कर दिया जो विधि विरूद्व है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.9.2016 निरस्त किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी कृषि भूमि चक 28 पीबीएन बी तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 38/348 के किला न. 4 की 0.054 है0 नहरी, किला न. 5 की 0.023 है0 पश्चिमी पासा, किला न. 6 में 0.030 है0 पश्चिमी पासा, किला न. [illegible] 0.170 है0 कुल 1700 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि को कृषि से अकृषि [illegible]रण हेतु आवेदन किया। जिस पर तहसीलदार, सूरतगढ़ ने पटवारी [illegible]। किला न. 4 की 0.054 है0 व किला न. 5 की 0.023 है0 पश्चिमी [illegible] भूमि में स्थित खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण [illegible] रिपोर्ट नहीं की गई। तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर [illegible] सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। परन्तु प्रकरण में तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से मंगवाई गई मौका रिपोर्ट अनुसार चक 28 पीबीएन के प0न0 38/348 के किला न. 4, 5 में मुताबिक रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

जमाबंदी आवासीय भूमि दर्ज रिकार्ड में वर्तमान में मौके पर जलमार्ग (खाला) बना हुआ है जिस पर एक पक्की पुली भी बनी हुई है। खाजा रातस्व रिकार्ड में दर्ज नही है, परन्तु मौके पर चालू है। जिससे यह साबित है किला न. 4, 5 में मौका पर जलमार्ग (खाला) बना हुआ है। भू–रूपांतरण नियम 2007 के नियम 4 (डी) के अनुसार निम्न भूमियों का रूपांतरण नहीं किया जा सकता – " Land falling under catchment areas of a tank or village pond, river, nala, tank, lake or land used as pathway to any cremation or burial ground of village pond, even if not so recorded in the village revenue map or revenue record. " परन्तु तहसीलदार, सूरतगढ़ ने विधि विरूद्व जाकर खाला की भूमि का भी रूपांतरण कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चक 28 पीबीएन बी तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 38/348 के किला न. 4 की 0.054 है0 नहरी, किला न. 5 की 0.023 है0 पश्चिमी पासा, किला न. 6 में 0.030 है0 पश्चिमी पासा, किला न. 7 में 0.063 है0 पूर्वी पासा कुल 0.170 है0 कुल 1700 वर्गमीटर भूमि में से किला न. 4 व 5 की खाला की भूमि तक का रूपांतरण निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया है कि अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड़ द्वितीय हनुमानगढ़ के निर्णय/आदेश कमांक राजस्व/2021/2002 दिनांक 27.09.2021 की पालना में चक 28 पीबीएन बी तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 38/348 के किला न. 4, 5 में जलमार्ग की भूमि को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज करें। चूंकि शेष रूपांतरित भूमि के आवागमन को बन्द किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं होगा, अतः उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि खाले में पानी के प्रवाह को नहीं रोका जाये तथा शेष रूपांतरित भूमि में जाने के लिए आवागमन के रास्ते को बन्द नहीं करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को आवश्यक कार्यवाही/नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित की जावे।पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

[अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)]

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner